प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00988/2026-2027 दिनांक 01/07/2026

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/DEO/06604/2026-2027 पत्रावली संख्या:G/DEO/0034453, दिनांक:2021-2022

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 जय प्रकाश सिंह एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पो0-नकईल तहसील-रुद्रपुर जनपद-देवरिया, देवरिया, 274205 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- DEO/02364/2021-2022 दिनांक-25/06/2021 को दिनांक-25/06/2026 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1100 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(Bhupendra Kumar Singh)
C13748B1F645FABB15712CE9C6346CE8714DF2CC
Date: 01/07/2026 5:16:19 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-01/07/2026

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है| इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नहीं है| इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा|

स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name : **स्व0 जय प्रकाश सिंह एजूकेशनल सोसाइटी**

संस्था का पता / Society's Address : ग्राम व पो0- नकईल तहसील- रुद्रपुर जनपद- देवरिया,Deoria,274205

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area : उत्तर प्रदेश

संपर्क संख्या / Contact Number : 9721810101

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य

खादी ग्राम, उद्योग ,	पंचायत उद्योग, ग्रामीण विकास ,	विज्ञान ,	साहित्य या ललित कला की प्रोन्नति ,	शिक्षा के लिये ,	उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिये (राजनीतिक शिक्षा) ,	जनसामान्यन के लिये स्थायपित पुस्तककालयों/ वाचनालयों से संबंधित ,	रंग चित्रों या अन्ये कला कृतियों/ संग्राहालयों/ गैलरियों ,	प्राकृतिक इतिहास के संकलन ,	यांत्रिक / दार्शनिक ,	बहुउद्देशीय ,

से सम्बंधित है)

1- समाज के पिछड़े हुए लागो को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षाए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना एवं बालक.बालिकाओं को सुविधा पूर्वक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक जुनियर हाई स्कूल हाई स्कूल इण्टर डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा के विभिन्न संकायों जैसे. कला विज्ञान वाणिज्य विधि शिक्षा और प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा विज्ञान एवं प्रायौगिकी मैनेजमेन्ट की शिक्षा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना ।

2- संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदो मे प्ले वे, हिन्दी माध्यम के वियालय, अंग्रेजी माध्यम के विधालय, उ० प० बोर्ड, सी .बी .एस.ई, आई .सी .एस .ई माध्यम के विद्यालय, महावियालय, कन्या वियालय, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान खोलना व संचालित करना ।

3- प्रदेश के विभिन्न जनपदों/ग्रामीण इलाको में बालक/बालिकाओं हेतु वियालय/महावियालयों विकलांग वियालय की स्थापना कर हिन्दी अग्रेजी संस्कृत उर्दू अरबी फारसी वेद वेदांग की शिक्षा प्राइमरी जू0हा0स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर तथा महावियालयों के अतिरिक्त उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, विशेषकर ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में वियालय कन्या विधालयों/महावियालयों की स्थापना करना व अविकसित वियालयों के प्रगति के लिए प्रसास करना व अन्य विषयों शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर का प्रबन्ध करना व जिसमें सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई बोर्ड/यू0पी0 बोर्ड की मान्यता प्राप्त करके वियालयों का संचालन करना। बालक/बालिकाओं हेतु आवासीय हेतु आवासीय हास्टल का प्रबन्ध करना व संस्था के माध्यम से सरकार से अनुमति लेकर आयुर्वेदीक/यूनानी कालेज तकनीकी कालेज, चिकित्सा कालेज नर्सिंग होम एवं पैरामेडिकल कालेज इन्जीनियरिंग कॉलेज कृषि शिक्षा वियालय/महावियालयों की स्थापना करना। भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए उसका संरक्षण करना व बढ़ावा देना।

4- समाज के निराश्रित गरीब व असहाय व्यक्तियो का सामुहिक विवाह का आयोजन करना।

5- भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना जैसे कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस, डिजिटल इण्डिया, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधान जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृशि सिचाई योजना, राश्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान, राश्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इत्यादी का प्रचार प्रसार करना तथा योजनाओ के बारे में लोगो को निःशुल्क जानकारी व जागरूक करना तथा लोगो को उपरोक्त योजनाओ के तह्त स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

6- समाज के उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं के स्थापनार्थ एवं संचालन से सम्बन्धित कार्य करना तथा समाज के पिछडे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की महिलाओं हेतु औयोगिक प्रशिक्षण जैसे-कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी0 टी0 पी0, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण, रेक्सीन कला, गृहराज्जा, आचार, मुरब्बा, माचिस, पतल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटीपार्लर की जानकारी देना तथा खादी ग्रामोधोग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, चमडा उद्योग, रैक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना। ।

7- शासन से पूर्व अनुमति लेकर नर्सिंग कोर्स एवं टीचर ट्रेनिंग, इंजि० कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पी.जी. कॉलेज, बी. एड. बी.टी.सी. कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजो प्राविधिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना व संचालन करना ।

8- उच्च शिक्षा के विकास हेतु बालक बालिकाओं के उच्च शिक्षा को पाने के लिए प्रतियोगिता कराना तथा प्रतियोगी परीक्षा की सामाग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

9- निशुल्क टीकाकरण रत्तदान शिविर तथा नेत्र ज्योति शिविर का आयोजन करना और प्रदेश के विभिन्न चिकित्सकों की मदद से धर्मार्थ चिकित्सालयों/ धर्मार्थ अस्पतालों का निर्माण कर स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य निःशुल्क संचालित करना। मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व रेडक्रास सोसाइटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण को जानकारी मुहैया कराना व मोबाइल चिकित्सा का संचालन करना। शासन/प्रशासन से अनुमति लेकर एम्बुलेन्स का सचालन करना।

10- अनाथ निराश्रित बाल श्रमिक वृद्धों बेरोजगारों महिलाओं के कल्याणर्थ आम जनता के उपयोग के लिए धमार्थ कम्यूनिटी हाल, बरातघर, वृद्धाश्रम महिलाआश्रम अनाथालय प्याउ धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियों रात्रि निवास मूक बधिर कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना

11- स्वयं सहायतों समूहो का गठन करके रोजगार परक योजनाओं में सहायता में सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व नवयुवतियों के रोजगार की जानकारी देना।

12- मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाये जाने वाले स्वास्थ्य एंव शिक्षा खेलकूद से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन करना। कृषि मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय श्रम मंत्रालय तथा बाल विकास विभाग परिवार कल्याण निदेशालय मध्य निदेशालय कपार्ट शिपसा यूनिसेफ तथा डूडा व सूडा युनाडो नाबार्ड यूनीफेम आई एल ओ सिडबी व खादी ग्रामोयोग बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों को सम्बन्धित विभाग से सहयोग से संचालित करना।

13- शिशु कल्याण, मातृ कल्याण, युवा कल्याण, परिवार कल्याण हेतु बाल श्रमिक, दहेज विरोधी, मद्यनिषेध कार्यक्रम संचालित करना तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिशु शिक्षा तथा शिक्षा की मुख्य धारा से अलग / छूटे हुए बालक/ बालिकाओं हेतु शिक्षा केंद्र स्थापित कर सर्व शिक्षा/ संपूर्ण साक्षरता/ सबके लिए शिक्षा शिक्षा गारंटी योजना के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कार्यक्रम संचालित करना|

14- निराश्रित, बेसहारा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, के / बालक/ बालिकाओं हेतु स्वयं / गैर सरकारी/ सरकारी सहयोग से आवासीय/ प्रशिक्षण अथवा सहयोग केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना और संचालन करना|

[illegible] दिवाकर कुँवर [illegible] Vikash Singh

[illegible] Rajini Singh अशोक सिंह

15- आई टी आई स्कूल खोलना टर्नर फीटर इलेक्ट्रिशियन कारपेन्टर पेन्टर क्रेन आपरेटर डीजल मैकेनिक ड्राइवर मेशन प्लम्बर आर्क आर्गन वेल्डर लोडर रीगर कम्प्यूटर आपरेटर मोबाइल रिपेयरिंग ए0सी0 मैकेनिक फ्रिज मैकेनिक टेलर रोलिंग मिल आपरेटर रोलिंग मिल फीटर साफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग शेपर मैन मिलींग मैन रेडिएटर डील आपरेटर सेटरिंग आर0सी0सी0 आपरेटर डाई मेकर व अन्य ट्रेड का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाना

16- दृष्टिहीनता की रोकथाम हेतु :शुल्क नेत्र नि / ज्योति शिविर, नेत्र ऑपरेशन शिविर, सेमिनार, वर्कशॉप का आयोजन, टीकाकरण, दवा वितरण कार्यक्रम संचालित करना दृष्टिहीनों के सहयोग हेतु उपकरण वितरण शिक्षण /प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था व संचालन करना|

17- दैवी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, शीतलहर, सूखा, गर्मी, लू से पीड़ितों को सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से सहायता पहुंचाना|

18- ग्रामीण रहन सहन का स्तर, बाल श्रमिकों की दशा, महिलाओं एवं विधवाओं की स्थिति, स्वास्थ्य की दशा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, स्वच्छता का स्तर, कृषि उत्पादन, लघु और कुटीर उद्योगों की असफलता, सामुदायिक सहभागिता का सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन करके उनके विकास एवं उन्नति के लिये परियोजनाओं का संचालन करना।

19- कम्प्यूटर के क्षेत्र में लोगो को जागरूक करना एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित विषयों जैसे हार्डवेयर साफ्टवेयर टैली, एमएसवर्ड, एक्सेल, पेज मेकर, अकाउन्टीग आदि का निः शुल्क प्रशिक्षण देना

20- कृषि व आर्थिक विकास हेतु पशुधन/ पशु पालन को बढ़ावा पशु व जीवन जंतु संरक्षण हेतु कार्यक्रम तथा पशु व जीव जंतु कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम संचालित करना| संस्था के माध्यम से भेड़ बकरी गौ पालन मुर्गी पालन को बढ़ावा देना व पशुओं के रहने के लिए गौशालाओं की स्थापना सरकार से अनुमति लेकर करना व दुग्ध डेयरी का संचालन व डेयरी फार्म व दुग्ध विकास के क्षेत्र में विस्तार करना। गोवंश की रक्षा भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना ।

21- हस्तशिल्प कला विकास हेतु तथा हस्त शिल्पियों के आर्थिक विकास हेतु रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रोत्साहन हेतु जागरूकता शिविर, वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन तथा प्रचार-प्रसार हेतु स्टाल प्रदर्शनी व मेले का आयोजन करना तथा सरकारी/ गैरसरकारी योजनाओं व सहयोग की जानकारी दिलाना व सहयोग दिलाना|

22- स्वास्थ्य रक्षा संबंधी कार्यक्रम, संक्रामक व असाध्य रोगों एड्स, चेचक, हैजा, कालरा, हेपीटाइटिस, पोलियो ,डेंगू, टी०बी०, कैंसर, कुष्ठ रोग, मधुमेह रोगों के उन्मूलनार्थ तथा इनसे बचाव हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता, टीकाकरण, चिकित्सीय जानकारी एवं चिकित्सा हेतु कार्यक्रम संचालित करना|

23- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नारी कल्याण द्वारा संचालित महिला एवं विकास योजनाओं को संचालित करना व खादी ग्राम उद्योग कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम संचालित करना|

24- खेलो को बढ़ावा, खेलो के प्रति गांवो एवं शहरो में अभिरुचि पैदा करने के लिए खिलाड़ियों को जिम, व्यायाम शाला, क्रिकेट, फुटबाल, बालीबाल, टेनिस, कबडडी, बैडमिंटन बास्केट बाल, कुश्ती, हाकी बाली बाल तैराकी जूडो कराटे आदि प्रशिक्षित करना संस्था के माध्यम से मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण अनुमति लेकर करना एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना। खेलकूद, व्यायाम, कला, सामान्य ज्ञान हेतु प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता आयोजित करना|

25- भारत सरकार द्वारा चलाये जा स्किल इण्डिया कार्यक्रमों का अनुमति लेकर प्रचार प्रसार व संचालन करना। भारत सरकार के रोजगार से सम्बंधित स्किल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम आदि के तहत युवाओ के लिये प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना व संचालन करना व सहायता प्रदान करना |

26- संस्था द्वारा हस्तकरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तेलधानी, पेन्टिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्र उद्योग, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेन्टस, हाथ कागज कला, लिफाफा, फाइबर, गिलास, रेशम उत्पादन व तकनीकी प्रशिक्षण, नवीन कृषि प्रशिक्षण खनिज सम्पदा, औषधीय सम्पदा, पौध रोपण, नर्सरी वनीकरण, वृक्ष संरक्षण, खादी, कताई, कम्प्यूटर, शार्टहैंड, टाइपिंग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, डेयरी उद्योग आदि की उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एंव उक्त व्यवसाय मे लगे लोगों का उत्थान करना।

27- सभी वर्ग /जाति सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बालक/ बालिकाओं युवक/ युवतियों के कल्याणर्थ साहित्य वैज्ञानिक, क्रियात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, कंप्यूटर, व्यवसायिक, रोजगारपरक एवं पारम्परिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिशु प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों तथा शैक्षिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना|

28- शासन की अनुमति से विकलांग व्यक्तियों का दवा, तिपहिया साईकिल इत्यादि की व्यवस्था करना| विकलांगों के पुनर्वास के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना| विकलांग व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर की निः शुल्क स्थापना करना|

29- शासन की अनुमति से रक्तदान, शिविर, नेशनल पोलियो उन्मूलन, फाइलेरिया, मैटरनल, इंसेफेलाइटिस उन्मूलनार्थ कार्यक्रम व चाइल्ड हेल्पिंग केंद्र की स्थापना व नि शुल्क संचालन करना|

30- योग प्रशिक्षण की स्थापना व संचालन करना तथा यौगिक क्रिया से रोग निदान शिविर आयोजित करना

31- ब्लड बैंक की स्थापना शासन की अनुमति से करना तथा रक्त संग्रह कर उसे जनहित में उपलब्ध कराना।

32- महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, व्यभिचार के विरुद्ध कार्यक्रम, विधिक साक्षरता कार्यक्रम तथा वेश्यावृत्ति उन्मूलनार्थ कार्यक्रम का संचालन करना|

33- मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन से संबंधित बोर्ड, सरकारी, गैर सरकारी सभी योजनाओं की जानकारी, प्रशिक्षण देकर स्व रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना|

34- भ्रूण, लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या के विरोध मे जागरूकता कार्यक्रम तथा गर्भवती महिला, नवजात बच्चे, जच्चा- बच्चा हेतु शिविर केन्द्र की नि शुल्क स्थापना कर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

35- शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों को स्वयं द्वारा दैविक क्रियाओं के निर्वृत हेतु योग एवं कसरत कराकर आत्मनिर्भर बनाना तथा ऐसे व्यक्तियों को हमारे समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयास करना|

36- शौचालय आदि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमों व पर्यावरण सम्बन्धी समस्त कार्य करना।

37- शराब व मादक पदार्थों का नशा करने वालो की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना एवं उनके कार्यक्रमों को सफल बनाना।

38- पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एकीकृत/ एकीकरण हेतु सामाजिक भावना तथा यूनेस्को यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड, वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन, कंज्यूमर वेलफेयर संबंधित योजनाओं का संचालन करना|

39- ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, वायु, जल, मृदा एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण हेतु जागरूकता उत्पन्न करना, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, जल स्वच्छता जागरूकता, संपूर्ण स्वच्छता, वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण विस्तारीकरण, स्वरोजगार परक नर्सरी (नव पौधशाला) की स्थापना, कार्यक्रम संचालित करना| स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गाव व शहर में पर्यावरण की सुरक्षा की जानकारी देना तथा गंदगी से होने वाली बीमारियों की जानकारी व बचाव देना।

40- पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, ग्रंथालय की स्थापना व नि शुल्क संचालन करना|

41- नगरीय व ग्रामीण समाज की आर्थिक दशा सुधारने, स्वर्ण जयंती शहरी नगरी/ ग्रामीण स्वरोजगार, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन कर उनको कुटीर/ गृह उद्योग व अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु बैंक, नाबार्ड, सिडल तथा राष्ट्रीय महिला कोष से सहायता दिलाना व संचालन तथा प्रचार करना|

42- संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, का निस्तारण का दिशा निर्देशन एंव प्रचार-प्रसार एंव रोकथाम करना|

रेनू सिंह दिवाकर कुँवर Vishy Vikash Singh

देवमाता सिंह Rajini Singh अशोक सिंह

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है / **Details of officie bearer and members of Management Committee :**

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती रेनू सिंह	श्री दिवाकर कुंवर	नकईल पो0- नकईल जनपद- देवरिया	अध्यक्ष	समाज सेवा	8303923955	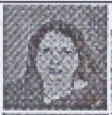	
2.	श्री दिवाकर कुंवर	श्री जय प्रकाश	नकईल पो0- नकईल जनपद- देवरिया	उपाध्यक्ष	समाज सेवा	9935605016		
3.	श्री विशाल सिंह	श्री दिवाकर सिंह	नकईल जनपद- देवरिया	प्रबन्धक	समाज सेवा	9721810101	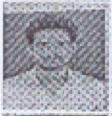	
4.	श्री विकास सिंह	श्री दिवाकर सिंह	नकईल रूद्रपुर जनपद- देवरिया	उपप्रबन्धक	समाज सेवा	8957693254		
5.	श्री दरोगा	श्री साहबजादा	सुगही जनपद- कुशीनगर	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा	8005208280	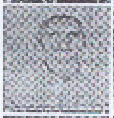	
6.	श्रीमती रागनी	श्री दिवाकर	नकईल जनपद- देवरिया	सदस्य	समाज सेवा	9369982699	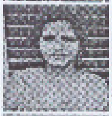	
7.	श्री अशोक सिंह	श्री दरोगा सिंह	सुगही जनपद- कुशीनगर	सदस्य	समाज सेवा	9919565760	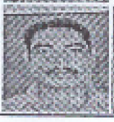	

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / **List of all Entered Genral Body members' details**

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्रीमती रेनू सिंह	श्री दिवाकर कुंवर	नकईल पो0- नकईल जनपद- देवरिया	समाज सेवा
2.	श्री दिवाकर कुंवर	श्री जय प्रकाश	नकईल पो0- नकईल जनपद- देवरिया	समाज सेवा
3.	श्री विशाल सिंह	श्री दिवाकर सिंह	नकईल जनपद- देवरिया	समाज सेवा
4.	श्री विकास सिंह	श्री दिवाकर सिंह	नकईल रूद्रपुर जनपद- देवरिया	समाज सेवा
5.	श्री दरोगा	श्री साहबजादा	सुगही जनपद- कुशीनगर	समाज सेवा
6.	श्रीमती रागनी	श्री दिवाकर	नकईल जनपद- देवरिया	समाज सेवा
7.	श्री अशोक सिंह	श्री दरोगा सिंह	सुगही जनपद- कुशीनगर	समाज सेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है । दिनॉक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

रेनू सिंह दिवाकर कुँवर Vishal Vikash Singh

दरोगा सिंह Rajni Singh अशोक सिंह

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	स्व0 जय प्रकाश सिंह एजूकेशनल सोसाइटी
संस्था का पता / Society's Address :	ग्राम व पो0- नकईल तहसील- रूद्रपुर जनपद- देवरिया,Deoria,274205
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	उत्तर प्रदेश
संपर्क संख्या / Contact Number :	9721810101

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	1001	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
सामान्य सदस्य / General Member	501	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निस्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

1. मृत्यु हो जाने पर ।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर ।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर ।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर ।
7. नैतक अपराधों मे न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

संस्था के अंग / Society's Parts :

1. साधारण सभा / General Body
2. प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :	साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।
बैठके / Meetings :	साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैटक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है । असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।
सूचना अवधि / Notice period :	साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी ।
गणपूर्ति / Quorum :	साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।
विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि / Special Annual General Meeting Date :	संस्था के साधारण सभा का वाषिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य होगी जो माह के पहले सप्ताह में किया जायेगा।
साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Duties of the General Body :	• प्रबन्धकारिणी समिति गठन करना। • आय व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना। • संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना। • संस्था के गत वितीय वर्ष के लेखा जोखा को अवलोकित करना एवं उसे स्वीकार करना। • आगामी वर्ष के प्रस्तुत बजट के कार्यो पर विचार करना तथा उसे संस्तुति देना। • संस्था के नियमावली, स्मृति पत्र में संशोधन करना यदि कोई हो। • संस्था के लिए धन आदि की व्यवस्था करना। • संस्था का आगामी योजना बनाना तथा उसे स्वीकार करना। • संस्था की चल एवं अचल सम्पति की देखभाल करना तथा उसके विस्तार की योजना को स्वीकार करना। • प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित करना। •

प्रबंधकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :	साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धंकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपप्रबन्धक-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबन्धक-1, सदस्य-2 होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर 7 होगी।
सूचना अवधि / Notice period :	प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना

रेनू सिंह दिवाकर कुँवर Vishy Vikash Singh
दरोगा सिंह Rajini Singh अशोक सिंह

24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी |

बैठके / Meetings : प्रबन्धसकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा ।

गणपूर्ति / Quorum : प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी |

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body : • संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमों का चयन व उनकी सफलतापूर्वक आयोजन/क्रियान्वयन करना। • आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय व्यय का बजट बनाकर साधारण सभा से अनुमोदन कराना। • संस्था के क्षेत्र को बढाना और घटाना एवं आवश्यकतानुसार कार्यालय का स्थानान्तरण करना। • कार्यकर्ताओं की नियुक्त व मुक्ति तथा उप समितियों का गठन करना। • अध्यक्ष या प्रबन्धक या सचिव द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट मंजूर करना। • संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना • अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं तथा अप्रवासी भारतीयों से दान व उपहार प्राप्त करना। • प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकार, संस्था एजेन्सी तथा बैंको द्वारा कार्यक्रमों के संचालन हेतु ऋण लेना व अनुदान प्राप्त करना। • विशेषज्ञो, बुद्धजीवियों से परामर्श लेना तथा सलाहकार समितियों का गठन करना। • केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड , बैंक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कपार्ट व अन्य समाज सेवी संस्थाओं से दान व अनुदान प्राप्त करना तथा बैंको से वितीय ऋण लेना • संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना। संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना। • संस्था के हित में भूमि भवन क्रय करना। • संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना। • संस्था के उद्देश्यों हेतु राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय व सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं प्राइवेट बैंक/बैंकों, खादी ग्रामोद्योग, व्यक्ति/व्यक्तियों , चन्दा, ऋण व अनुदान प्राप्त करना। • प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन करना।

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats : प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी |

कार्यकाल / Tenure : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5साल का होगा |

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by General Body : प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियो का चुनाव साधारण सभा के बहुमत द्वारा कराया जायेगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Manegerial Body :

अध्यक्ष

1. • बैठको को बुलाना एवं अनुमोदन कराना। • सभी बैठको की अध्यक्षता करना। • बैठको में शांति व्यवस्था कायम करना। • संस्था के बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना। • संस्था के समस्त कार्यों को अपनी देख रेख में करवाना संस्था में किसी प्रकार का मतभेद पैदा होने पर उसे सुलझाने का प्रयास करना।

उपाध्यक्ष

2. 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना। 2- ऐसे अधिकरों एवं कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा लिखिल रूप से प्रतिनिहित किया जाये। 3- अध्यक्ष पद रिक्त होने पर की दशा में उस तिथि से अध्यक्ष के समस्त अधिकार व कर्तव्यों का पालन करना जग तक कि नये अध्यक्ष का चुनाव न हो।

प्रबन्धक

3. • संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना। • सभी बैठको की अध्यक्षता करना। • उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दाए दान ऋण व अनुदान प्राप्त करना। • सदस्यों से चन्दा लेना व उन्हें रसीद काटकर देने का अधिकार होगा। इनके द्वारा जारी कि गयी रसीद ही मान्य होगी। • कर्मचारी की नियुक्ति व पदोंन्नति निष्कासन व निलम्बन करना। • बिल एवं बाउचरों को चेक करना। • आवश्यकता पड़ने पर संस्था के कार्यों एवं लेखों की जांच करना। • शिक्षण व प्रशिक्षण से सम्बन्ति समस्त कार्यो को अपनी रेखदेख में करवाना। • प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित कराना। • आवशयकता पड़ने पर बैठको की अध्यक्षता करना। • बैठको को बुलाना एवं अनुमोदन कराना। • राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना व संस्था के हित में खर्च करना। • पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की सवीकृति देना। • संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना। • कर्मचारियों के कार्यो की देख रेख करना। • संस्था के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कराना। • संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक कार्य किये जाने पर उन्हे दण्डित व निष्कासित करना। • बैठको की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना। • बैठको का दिनाक व समय व स्थान निर्धारित करना। • संस्था को मजबूत करना। बैंको से वितीय ऋण लेना • शिक्षण व प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यो को अपनी देख.रेख में करवाना। • सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना। • संस्था में किसी प्रकार कामतभेद पैदा होने पर उसे सुलझाने का प्रयास करना

उपप्रबन्धक

4. - प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना। 2- ऐसे अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना जो प्रबन्धक द्वारा लिखिल रूप से प्रतिनिहित किया जाये। 3- प्रबन्धक पद रिक्त होने पर की दशा में उस तिथि से प्रबन्धक के समस्त अधिकार व कर्तव्यों का पालन करना जबतक कि नये प्रबन्धक का चुनाव न हो।

कोषाध्यक्ष

5. • संस्था के हित में धन एकत्रित करना। • संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो0 आफिस में संस्था के नाम से जमा करवाना। • संस्था के आय.व्यय का लेखा जोखा तैयार करना व साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

रेनू सिंह दिवाकर कुँवर Vishal Vikash Singh
दरोगा सिंह Rajini Singh अशोक सिंह

सदस्य	6.	• संस्था के बैठक में उपस्थित रहना तथा जो भी कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है उसका अनुश्रवण करना एवं सम्बन्धित कार्य की जानकारी देना। • विभिन्न बैठकों की सूचना समस्त पदाधिकारियों तक पहुचाना। • संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करना। • संस्था के कार्य में सहयोग करना व चुनाव में भाग लेना

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

	पदाधिकारी/Post
1.	अध्यक्ष
2.	प्रबन्धक

आय के स्रोत / Source of Income

1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Maintenance amount
5. Mebership Fee
6. Other Sources
7. Remittance
8. Self Money Generation

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिड्यूल्ड बैंक, पोस्ट ओफिस,या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा , जिसका संचालन अध्यक्ष एवम प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा |

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्व| / Responsibility for court operations of the society by or against :

अदालती कार्यवाहियों को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदम अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेगे एवं समस्त मुकदमों वाद.प्रतिवाद की पैरवी प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेग / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
   a) साधारण सभा / Genearal Body.
   b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टाक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.

विघटन / Dissociation :

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissociation and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनाँक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

इन्दु सिंह   दिवाकर कुँवर   Vishy

Vikash Singh   देवमा सिंह   Rajini Singh

अशोक सिंह

स्व0 जय प्रकाश सिंह एजूकेशनल सोसाइटी ग्राम व पो0 नकईल तहसील रूद्रपुर जनपद देवरिया उ0प्र0 की साधारण सभा की सूची वर्ष........2026–2027

क्र.सं.	नाम / पिता का नाम	पता	सदस्यों का वर्ग
1	श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री दिवाकर कुंवर	नकईल पो0 नकईल जनपद देवरिया	सामान्य
2.	श्री दिवाकर कुंवर पुत्र श्री जय प्रकाश	नकईल पो0 नकईल जनपद देवरिया	सामान्य
3.	श्री विशाल सिंह पुत्र श्री दिवाकर सिंह	नकईल जनपद देवरिया	सामान्य
4.	श्री विकास सिंह पुत्र श्री दिवाकर सिंह	नकईल रूद्रपुर जनपद देवरिया	सामान्य
5.	श्री दरोगा पुत्र श्री साहबजादा	सुगही जनपद देवरिया	सामान्य
6.	श्रीमती रागनी पुत्री श्री दिवाकर	नकईल जनपद देवरिया	सामान्य
7.	श्री अशोक सिंह पुत्र श्री दरोगा सिंह	सुगही जनपद देवरिया	सामान्य